कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय
(राज्य बागवानी मिशन)

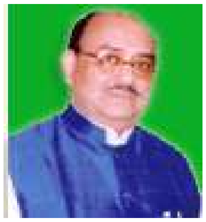

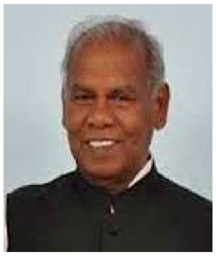

बिहार राज्य के सभी जिलों में बागवानी उत्पादों के उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं आधारभूत बाजार संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उद्यान निदेशालय (राज्य बागवानी मिशन, बिहार) द्वारा बागवानी उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं–

क्र॰ सं॰	कार्यक्रम का नाम	लागत व्यय प्रति इकाई	सहायतानुदान प्रति ईकाई
1	संग्रहण, छँटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के लिए आधारभूत संरचना	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50 लाख
2	उद्यानिक उत्पाद के विपणन हेतु ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी	₹25 लाख प्रति इकाई	₹12.50 लाख
3	टी.सी. लैब	₹250 लाख प्रति इकाई	₹100.00 लाख
4	रीफर भैन (9MT)	₹26 लाख प्रति इकाई	₹13.00 लाख
5	कोल्ड स्टोरेज 5000MT क्षमता का	₹400 लाख प्रति इकाई	₹140.00 लाख
6	फल पकाने हेतु कक्ष (राइपेनिंग चेम्बर) 500MT क्षमता का	₹500 लाख प्रति इकाई	₹175.00 लाख
7	समन्वित पैक हाउस (छंटनी, ग्रेडिंग, इकाई, वाशिंग, ड्राइंग एवं तौल सहित)	₹50 लाख प्रति इकाई	₹17.50 लाख
8	प्री कूलिंग इकाई	₹25 लाख प्रति इकाई	₹8.75 लाख
9	शीत कक्ष युक्त स्थिर/चलन्त वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म	₹0.30 लाख प्रति इकाई	₹0.15 लाख
10	पैक हाउस	₹4 लाख प्रति इकाई	₹2.00 लाख
11	कम लागत का प्याज भंडारण इकाई	₹1.75 लाख प्रति इकाई	₹0.875 लाख
12	ए॰सी॰ रिटेल आउटलेट	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50 लाख
13	मशरूम उत्पादन इकाई	₹20 लाख प्रति इकाई	₹10.00 लाख
14	मशरूम स्पॉन उत्पादन ईकाई	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50 लाख
15	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई	₹20 लाख प्रति इकाई	₹10.00 लाख
16	प्राथमिक/मोबाईल/मिनीमल प्रसंस्करण ईकाई	₹25 लाख प्रति इकाई	₹12.50 लाख
17	आसवन इकाई	₹5 लाख प्रति इकाई	₹2.50 लाख
18	छोटी नर्सरी (1 हे॰)	₹15.00 लाख प्रति इकाई	₹7.50 लाख
19	कम लागत का फल संरक्षण ईकाई	₹2.00 लाख प्रति इकाई	₹1.00 लाख
20	गाँव के समीप बाँस का थोक/खुदरा बाजार की स्थापना	₹25 लाख प्रति इकाई	₹12.50 लाख
21	गाँव के समीप बाँस का रिटेल आउटलेट	₹10 लाख प्रति इकाई	₹3.50 लाख

किसान/उद्यमी उपरोक्त कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र परियोजना प्रस्ताव के साथ **राज्य बागवानी मिशन, कार्यालय, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना–800001** को हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से उपलब्ध करा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर मुख्यालय स्तर पर गठित कमिटि SLEC (State Level Executive Committee) द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि 31.08.2014** है। आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य है:–

1. परियोजना प्रस्ताव हेतु विहित आवेदन प्रपत्र जिसमें आवेदक का फोटोग्राफ चिपकाया गया हो।
2. परियोजना हेतु चयनित भूमि का अद्यतन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
3. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की विवरणी के साथ अनुमानित लागत का ब्योरा एवं ले–आउट प्लान।
4. ऐसे अवयव जिसका अनुमानित लागत 5.00 लाख रूपये से अधिक है, उसके लिए बैंक द्वारा ऋण सहमति/स्वीकृति प्रमाण पत्र (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी आधारित परियोजना के लिए अनिवार्य)।
5. परियोजना प्रस्ताव में वर्णित प्लांट/मशीनरी का कोटेशन।
6. चेक लिस्ट के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव उपरोक्त कागजात स्पाइरल बाईडिंग में।

Note:- इच्छुक किसान एवं उद्यमी अपने–अपने जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी से सम्पर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र एवं अन्य जानकारी www.horticulture.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

राज्य बागवानी मिशन, दूसरा तल्ला, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001, बिहार
फोन/फैक्स : 0612–2521776